न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 07 / 17 दायरा दिनांक 05.07.2017

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

रामेश्वर पुत्र लक्ष्मणलाल जाति किराड निवासी खाण्डा सहरोल तहसील शाहबाद, जिला बारां।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. कोंसा पत्नि मांगीलाल पुत्री शंकरलाल जाति किराड निवासी खाण्डा सहरोल तहसील शाहबाद।
2. इमरतलाल पुत्र लक्ष्मणलाल जाति किराड निवासी खाण्डा सहरोल तहसील शाहबाद।
3. कस्सो पुत्री लक्ष्मणलाल, पत्नि कंवरलाल जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहसील शाहबाद।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला — बारां।

— रेस्पोडेण्टस्

उपस्थित :—

1. श्री अरविन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री पी.सी. नामदेव व श्री कुमेर यादव — रेस्पोडेण्टस्।

निर्णय दिनांक 11-02-2021

अपील विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 203 दिनांक 31.12.1974 ग्राम मुण्डियर, तहसील शाहबाद

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.1974 ग्राम मुण्डियर, को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम मुण्डियर में खसरा नम्बर 493 रकबा 3.00 बीघा तथा ग्राम मुण्डियर की ही खसरा नम्बर 457 रकबा 20.18 बीघा, खसरा नम्बर 490 रकबा 18.15 बीघा किता 2 कुल रकबा 39.13 बीघा ग्राम मुण्डियर के खसरा नम्बर 509 रकबा 2.16 बीघा, खसरा नम्बर 533 रकबा 8.06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 11.02 बीघा के खातेदार लक्ष्मणलाल पुत्र कंवरलाल किराड निवासी खाण्डा सहरोल अपीलान्ट के पिता थे। अपीलान्ट के पिता लक्ष्मणलाल ने कंचनबाई से जाति में प्रचलित प्रथा अनुसार नाता किया था। कंचनबाई व उसके पूर्व पति शंकरलाल से कोंसा का जन्म हुआ था। लक्ष्मणलाल ने कंचनबाई से नाता किया तब कोंसा कंचनबाई के साथ गैलड आई थी। मृतक लक्ष्मण के अपीलाधीन फोती इन्तकाल में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट [illegible] के साथ ही रेस्पोडेण्ट क्रम 1 कोंसा का नाम सर्वथा अवैध व गलत तौर पर दर्ज कर दिये जाने से अपीलाधीन इन्तकाल विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है कोंसा कंचनबाई के पूर्व पति शंकरलाल की पुत्री है जो कंचनबाई के साथ गैलड आई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:22 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 ने कार्यवाही मे बतौर अपीलान्ट साथ जुडने से इनकार कर दिया है इस कारण उक्त को रेस्पोडेण्टस् बनाकर अपील पेश है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही है।

ग्राम खाण्डा सहरोल की आराजी में भी कोंसा का नाम दर्ज किया गया था जो निरस्त किया गया, विवादित इन्तकाल का ज्ञान अपीलान्ट को नहीं था। दिनांक 29.06.2017 को इन्तकाल की नकल लेने पर ज्ञान हुआ। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये बहस में कहा कि नामान्तरकरण 203 ग्राम मुण्डियर, अपीलान्ट के पिता लक्ष्मण ने शंकरलाल की पत्नि कंचनबाई से नाता किया था उस समय शंकरलाल व कंचनबाई की पुत्री कौंसा थी जो कंचनबाई के साथ आयी तथा मृतक लक्ष्मण के साथ भी रही। रेस्पोडेण्ट 2 व 3 अपीलान्ट लक्ष्मण के वारिस है। इनके नाम के साथ कौंसा का भी नाम दर्ज कर दिया। कौंसा लक्ष्मण की पुत्री नहीं होने से उसका नाम नामान्तरकरण में गलत दर्ज किया। उत्तराधिकारी नहीं होने से कौंसा का नाम हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने अपील जबाब पेश करते हुये बहस में कहा कि रेस्पोडण्ट क्रम 1 कोंसा, लक्ष्मणलाल पुत्र कंवरलाल की पुत्री है जिसकी माता कंचनबाई थी, कोंसा का विवाह लक्ष्मणलाल ने ही मांगीलाल के साथ किया है तथा कोंसाबाई का कन्यादान भी लक्ष्मणलाल व कंचनबाई ने ही लिया है। कोंसा सबसे बढी संतान है इस कारण लक्ष्मणलाल का फौती इन्तकाल नम्बर 203 दिनांक 31.12.1974 ही तस्दीक हुआ है। और कोंसा का नाम सही जैर अपील आराजी में नियमानुसार अंकित है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 की ओर से No Objction दिया गया।

हमने विद्वान वकील उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार शाहबाद के निर्णय दिनांक 19.02.2007 से यह साबित होता है कि मृतक लक्ष्मणलाल की तीन सन्तानें हैं पुत्र ईमरतलाल,रामेश्वर व पुत्री कस्सो, रेस्पोडेण्ट क्रम 1 कौंसा, शंकरलाल की पुत्री है, जो हिन्दू धर्म के अनुसार दूसरा विवाह करने पर कंचनबाई के साथ गैलड आई थी। न्यायालय तहसीलदार शाहबाद के निर्णय दिनांक 19.02.2007 से कौंसा को लक्ष्मणलाल की पुत्री नहीं होना पाया गया। तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का नाम नामान्तरकरण में अंकित किया गया है। जो विधिक रूप से सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 का नाम गलत तौर से जोडा जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम मुण्डियर का इंतकाल नं. 203 दिनांक 31.12.1974 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 203 दिनांक 31.12.1974 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)